



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20122021-232001
CG-DL-E-20122021-232001

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4878]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4878]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5259(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) गुलगंज - अमंगनज - पवई - कटनी मार्ग के कि.मी. 108.00 से कि.मी. 119.65 (पवई बाईपास चाँदघाट री-एलाइनमेंट तक) तक (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील - पवई) अंतर्गत भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के

पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 (विस्तार) गुलगंज - अमंगनज - पवई - कटनी मार्ग के कि.मी. 108.00 से कि.मी. 119.65 (पवई बाईपास चौदघाट री-एलाइनमेंट तक) तक (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसील - पवई) अंतर्गत के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: पन्ना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पवई					
गांव का नाम: पवई					
1	2230	निजी	असिंचित	0.0610000(हेक्टेयर)	0.0610000
2	2328	निजी	असिंचित	0.0520000(हेक्टेयर)	0.0520000
3	5740	निजी	सिंचित	0.0850000(हेक्टेयर)	0.0850000
4	6016/2/1	निजी	असिंचित	0.0400000(हेक्टेयर)	0.0400000
5	6016/2/2	निजी	असिंचित	0.0500000(हेक्टेयर)	0.0500000
6	6017	निजी	सिंचित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
7	6018/2	निजी	असिंचित	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
8	6018/3	निजी	असिंचित	0.0150000(हेक्टेयर)	0.0150000
9	6022	निजी	असिंचित	0.0140000(हेक्टेयर)	0.0140000
10	6023	निजी	असिंचित	0.0160000(हेक्टेयर)	0.0160000
11	6034	निजी	असिंचित	0.0090000(हेक्टेयर)	0.0090000
12	6255	निजी	असिंचित	0.0550000(हेक्टेयर)	0.0550000
कुल				0.4720	0.4720

[फा. सं. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5259(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH - 43 Extension Gulganj - Amanganj - Pawai - Katni Road in the stretch of land from Km. 108.00 to Km. 119.65 (Pawai Bypass upto Chandghat Realignment) under (Sub-Divisional Officer Revenue, Tehsil - Pawai) in the district of PANNA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, Sub-Divisional Officer Revenue, Tehsil - Pawai in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH - 43 Extension Gulganj - Amanganj - Pawai - Katni Road in the stretch of land from Km. 108.00 to Km. 119.65 (Pawai Bypass upto Chandghat Realignment) in the district of PANNA in the State of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH		District: PANNA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Pawai					
Village: Pawai					
1	2230	Private	aabadi	0.0610000(Hectare)	0.0610000
2	2328	Private	Asinchit	0.0520000(Hectare)	0.0520000
3	5740	Private	Irrigeted	0.0850000(Hectare)	0.0850000
4	6016/2/1	Private	Asinchit	0.0400000(Hectare)	0.0400000
5	6016/2/2	Private	Asinchit	0.0500000(Hectare)	0.0500000
6	6017	Private	Irrigeted	0.0150000(Hectare)	0.0150000
7	6018/2	Private	Asinchit	0.0600000(Hectare)	0.0600000
8	6018/3	Private	aabadi	0.0150000(Hectare)	0.0150000
9	6022	Private	aabadi	0.0140000(Hectare)	0.0140000
10	6023	Private	aabadi	0.0160000(Hectare)	0.0160000
11	6034	Private	aabadi	0.0090000(Hectare)	0.0090000
12	6255	Private	asinchit	0.0550000(Hectare)	0.0550000
Total				0.4720	0.4720

[F. No. CE-RO-BPL/30010/04/2017-18/3A]

RAJESH GUPTA, Director